न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 74 / 2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 26.07.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 209

महावीर चन्द कोठारी पुत्र श्री नौरतमल, जाति जैन निवासी नारपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर
प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय **दिनांकः 25.10.2023**

वादी की ओर से वादी अधिवक्ता श्री जसंवत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नारपुरा, पटवार हल्का गिरी भू. अभि. नि. क्षैत्र गिरी, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबन्दी चौसाला आधार सवत् 2075—2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) के खाता सं. 154 खसरा सं. 1652 / 590 रक्बा 1.6187 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम कुषि भुमि आई हुई है। जो वादी की गैर खातेदारी भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2043—2026, से लगायत 2075—2078 तक जमाबन्दी, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, नामान्तरण सं. 486 की फोटो प्रति, पटवारी भु. अभि.निरी की मौका रिर्पोट दिनांक 24 / 07 / 2023 वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें । उपरोक्त भुमि मे वादी का हक व हिस्सा आता है, तथा उक्त भुमि वादी सं. 1 के पिता नोरतमल पुत्र श्री सिमरथमल महाजन को जरिये आवंटन द्वारा प्राप्त हुई। उक्त भुमि आवंटन कमेटी के द्वारा आवटित की गयी जो कि दिंनाक 26.10.1970 को जारी किया गया एवं आवंटन आदेश के क्रम सं. 20 पर वादी के पिता का नाम दर्ज है। उक्त आंवटन आदेश का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज ग्राम गिरी के नामान्तरण सं. 486 स्वीकृत दिंनाक 26 / 04 / 1976 के द्वारा किया गया एंव वादी के पिता का नाम गैर खातेदारी दर्ज कि गयी। एवं वादी के पिता के खातेदारी दिंनाक 26 / 04 / 1976 से एवं कब्जा 26 / 10 / 1970 के पुर्व से चला आ रहा है। उक्त भुमि मे वादी के पिताजी के देहान्त होने पर ग्राम नारपुरा के नामान्तरण सं. 837 के जरिये वादी का नाम दर्ज किया गया। वर्तमान मे वादी उक्त भुमि का गैर खातेदार एवं काश्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कार है। वादी की भुमि पर अन्य वयक्तियों के द्वारा कब्जा करने की नियत रखने पर ग्राम नारपुरा के खसरा सं. 1652/590 पर कब्जा करने की नियत होने का एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रायपुर को पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर के द्वारा हल्का पटवारी एवं भु. अभि. निरी को मौका रिर्पोट लाने हेतु आदेशित किया गया जिस पर हल्का पटवारी गिरी व भु. अभि. निरी गिरी ने विवादित भुमि पर वादी का कब्जा होने की रिर्पोट पेश कि जिसकी फोटा प्रति संलग्न है। तहसीलदार रायपुर को बार बार खातेदारी हक देने का निवेदन एवं राजस्थान सरकार रेवेन्यु (ग्रुप 6) विभाग के परिपत्र सं. एफ,9(8) राजस्व-6/2017/135 जयुपर दिंनाक 01/12/2021 साथ पेश किया उक्त परिपत्र के अनुसार 1/01/1981 से लगातार राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज चला आ रहा है तो उसे खातेदारी हक दिये जा सकते है। परिपत्र के साथ प्रार्थना पत्र पेश कर खातेदारी हक मांगने पर भी उनके द्वारा न तो प्रार्थना पत्र स्वीकार ही नही किया एव ना हि खातेदारी हक प्रदान किये। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई। ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी के खसरा सं. 1652/590 मे मुझ प्रार्थी का नाम एवं पुर्व मे वादी के पिता का नाम गैर खातेदारी मे दिंनाक 26/04/1976 से दर्ज चला आ रहा है एंव मौके पर कब्जा चला आ रहा हैं इसलिए राजस्थान सरकार के परिपत्र के अनुसार खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिये यह वाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया जा रहा है ।वादी अपने हक हिस्से पर मोके पर काबिज है, तथा अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करते आ रहे है, अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादी का नाम गैर खातेदारी दर्ज रहता है तो वादी को बैंक से ऋण लेने व सरकार से मिलने वाले कृषि भुमि के फायदे नहीं ने पायेगा जिससें वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा व वादी को अपने हक अधिकार से वंचित होना पडेगा। वादी के पास न्यायलय की शरण मे जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से वादी अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह वाद राजस्व रेकर्ड में दर्ज दर्ज गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा हैं। बिनायदावा वादी ने अपने पिताजी का फौतेदगी नामान्तरण भरवाने हेतु जमाबन्दी निकलवाने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई कि वादी के पिताजी के नाम आज तब गैरखातेदारी दर्ज है। जब खातेदारी हक हेतु पटवारी महोदयसे सम्पर्क करने पर पटवारी महोदय द्वारा राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी हेतु तहसीलदार को आवेदन करने का कहने एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा खातेदारी हक देने हेतु मना करने के कारण बमुकाम नारपुरा, पटवार हल्का गिरीं तहसील रायपुर, जिला पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने के वाद अन्दर मियाद पेश है। डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद के पद संख्या-1 में वर्णित उपरोक्त वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम नारपुरा, पटवार हल्का गिरी भू. अभि. नि. क्षैत्र गिरी, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबन्दी चौसाला आधार सवत्

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

2075–2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) के खाता सं. 154 खसरा सं. 1652/590 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम के राजस्व रेकर्ड में दर्ज महावीर चन्द कोठारी पुत्र नौरतमल हिस्सा पुर्ण जाति जैन सा. देह गैर खातेदार के स्थान महावीर चन्द कोठारी पुत्र नौरतमल हिस्सा पुर्ण जाति जैन सा. देह खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें एंव वादी को गैर खातेदार से खातेदार धोषित करवाने की कृपा करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुआ हैं। प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर ने जवाव/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न हों। प्रस्तुत भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नारपुरा के खसरा नम्बर 1652/590 रकबा 1.6187 हेक्टैयर किस्म बारानी दोयम की भूमि वादी महावीर चन्द कौठारी पुत्र नौरतमल जाति जैन सा. देह गैर खातेदार के नाम पर दर्ज रेकर्ड हैं। मौके पर उक्त भूमि पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त हैं। वर्तमान में मौके पर कोई विवाद नहीं हैं। उक्त भूमि में से कोई गैस, पेट्रोलियम लाईन नहीं हैं। उक्त भूमि पर आवागमन में कोई बाधा नहीं हैं। उक्त भूमि वादी के पिता को जरिये आवंटन प्राप्त हुई थी जिसकी ग्राम गिरी के नामान्तरण संख्या 486 भरा गया था एवं उक्त भूमि पर वादी के पिता फौत होने पर ग्राम नारपुरा के नामान्तरण संख्या 837 के द्वारा वादी का नाम दर्ज किया गया हैं। ग्राम नारपुरा के खसरा संख्या 1652/590 पर वादी के पिता के नाम पर गैर खातेदारी दिनांक 26.04.1976 से चली आ रही हैं।

हमने पत्रावली संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात एंव अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत अकिथनों का अवलोकन का अवलोकन एंव मनन किया तथा प्रकरण में उचित निर्णय हेतु वाद के संलग्न मौका रिपोर्ट में ग्राम नारपुरा के खसरा संख्या 1652/590 पर वादी के पिता के नाम पर गैर खातेदारी दिनांक 26.04.1976 से चली आ रही हैं। खसरा नम्बर 1652/590 रकबा 1.6187 हेक्टैयर किस्म बारानी दोयम की भूमि वादी महावीर चन्द कौठारी पुत्र नौरतमल जाति जैन सा. देह गैर खातेदार के नाम पर दर्ज रेकर्ड हैं। मौके पर उक्त भूमि पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त हैं। वर्तमान में मौके पर कोई विवाद नहीं हैं। उक्त भूमि में से कोई गैस, पेट्रोलियम लाईन नहीं हैं। उक्त भूमि पर आवागमन में कोई बाधा नहीं हैं। उक्त भूमि वादी के पिता को जरिये आवंटन प्राप्त हुई थी जिसकी ग्राम गिरी के नामान्तरण संख्या 486 भरा गया था एवं उक्त भूमि पर वादी के पिता फौत होने पर ग्राम नारपुरा के नामान्तरण संख्या 837 के द्वारा वादी का नाम दर्ज किया गया हैं।

बहस के दौरान बताया कि उक्त वादपत्र में साक्ष्यवादी पेश नहीं करना चाहते हैं एवं तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट पर बहस करने हेतु निवेदन किया हैं एवं राजस्थान सरकार रेवेन्यु (ग्रुप 6) विभाग के परिपत्र सं. एफ,9(8) राजस्व–6/2017/135 जयपुर दिनाक 01/12/2021 साथ पेश किया उक्त परिपत्र के अनुसार 1/01/1981 से लगातार राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज चला आ रहा है तो उसे खातेदारी हक दिये जा सकते है। परिपत्र के साथ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रार्थना पत्र पेश कर खातेदारी हक मांगने पर भी उनके द्वारा न तो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया एव ना हि खातेदारी हक प्रदान किये। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई। ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी के खसरा सं. 1652/590 मे मुझ प्रार्थी का नाम एवं पुर्व मे वादी के पिता का नाम गैर खातेदारी मे दिंनाक 26/04/1976 से दर्ज चला आ रहा है एंव मौके पर कब्जा चला आ रहा हैं इसलिए राजस्थान सरकार के परिपत्र के अनुसार खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है। तहसीलदार रायपुर ने उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी दिया जाना उचित बताया हैं।

बहस समायत की गई। बहस, मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक गिरी के खसरा नम्बर 1652/590 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक गिरी के खसरा नम्बर 1652/590 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हों। निर्णय की प्रति, पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix “d” –1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर , रायपुर

महावीर चन्द कोठारी पुत्र श्री नौरतमल, जाति जैन निवासी नारपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद 74/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर जाकर ग्राम नारपुरा पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक गिरी के खसरा नम्बर 1652/590 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नीज......................×..................मुबलिक................×..............बाबत्.............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×.................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×...........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.10.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	0	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	01	00
मुतफरिक	–	02	00	मीजान			
मीजान							
		07	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर ब्यावर